संख्या:-38/2015/1128/71-2-15-के0एस0-01/2014

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

.....

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक शासनादेश संख्या-726/71-2-14-के0एस-01/2014 दिनांक 26 फरवरी 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु रू0 31,18,50,000/- (रूपया इकतीस करोड़ अट्ठारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. सवीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एवं वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या- ई-8-394/दस-2013-1074/2012 दिनांक 07 मार्च, 2013 एवं लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-2158ईजी/23-5-24 ईजी/13 दिनांक 02 दिसम्बर 2013 में प्रदत्त व्यवस्था के अंतर्गत होगी। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। उक्त शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अंतर्गत कार्यदायी संस्था/संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
3. कार्यदायी संस्था/संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
5. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था/संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
6. कार्यदायी संस्था/संबंधित प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्यमदें यथा-किचेन उपकरण, फर्नीचर, एच0टी0 पैनल/एल0टी0 पैनल, डी0जी0 सेट, ई0पी0बी0एक्स सिस्टम, लाइटस, आडियो वीडियो सिस्टम, स्टीम ब्वायलर, यू0पी0एस0, सर्वर, इक्यूपमेंट रैक्स, फायर एक्स टेंग्यूग्शर, फायर बकेट मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम, माड्यूलर ओ0टी0, कारटेन टेक, पीन्यूमैटिक ट्यूब आदि का क्रय एवं स्थापना हेतु बजटरी आफर/कोटेशन संलग्न किये गये है। इनका -क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: कार्यदायी संस्था/संबंधित प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।
8. प्रायोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियॉ, यथा-डैडोवाल पैनलिंग, मारमोलियम फ्लोरिंग, ग्रेनाइट, फाल्स सीलिंग, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, पाइलिंग, आटोक्लेब्ड एरिऐटेड कंक्रीट, विनायल फ्लोरिंग, पैराकोट क्लेडिंग, पी0यू0 फ्लोरिंग, वाल गार्ड हेतु एक्रोविन, जियोटेक्सटाइल मैट, वाटर सप्लाई हेतु स्टेंनलेस स्टील पाइप, पेन्डेन्ट टाइप स्प्रिंकलर, डिस्प्ले सिस्टम, कन्ट्रोल सिस्टम, एल0ई0डी0 प्लैट पैनल, ग्लेवेनाइज्ड पी0यू0 कोटेड कोनिकल पोल्स, आप्टिकल जूम सिस्टम, 32 इंच एल0सी0डी0/एल0ई0डी0 वाल मोनिटर HUS XPRO सेन्ट्रल मैनेजमेन्ट मास्टर सर्वर, 100 किलोवाट पावर सोलर पी0वी0 सिस्टम आदि प्रस्तावित की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में निदेशक केबिन, बोर्ड रूम, कान्फ्रेन्स हाल, प्राइवेट वार्ड, शेयर्ड वार्ड, एच0ओ0डी0 रूम, एसोसिएट डाक्टर्स रूम, असिस्टेंट प्रोफेसर रूम, वेटिंग लावी, कोरीडोर, आउटडोर एरियाज मेन इन्ट्रेन्स में आर्ट कार्य का विस्तृत आगणन नहीं है, अत: विस्तृत आगणन के गठन एवं उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।
10. प्रायोजना प्रस्ताव में लैण्ड स्केपिंग कार्यमद के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के CLIMBERS, SHRUBS PALMS, TREES के क्रय हेतु कार्यदायी संस्था/संबंधित प्राधिकारी/ महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा संबंधित कार्यमदों के विशिष्टि प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इनके विषय विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय, जिसकी देख-रेख में उक्त कार्यमदों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
11. प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति की सतत् अनुश्रवण हेतु कार्यदायी संस्था/संबंधित प्राधिकारी/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीड बैक की प्रति चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।
12. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
13. वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई 2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशिक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्यान-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा-शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-59-कैन्सर संस्थान, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/422/दस-2015, दिनांक 29 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या:- 38/2015/1128(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नमलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/आवास विभाग/लोक निर्माण विभाग/नियोजन विभाग/पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (बजट) अनु0-1/वित्त-ई-3
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 रा0 निर्माण निगम लि0, उ0प्र0 अशोक मार्ग, निशातगंज, लखनऊ।
10. स्पीड पोस्ट-मेसर्स मुकेश एण्ड एसोसिऐट, डिवीजन-2, 2/6 रंगनाथर एवेन्यू, पेरूमा मलाई मेन रोड़, नारासोथीपट्टी, सलीम-636006 (तमिलनाडू)
11. स्पीड पोस्ट-मेसर्स आर्कोम, सी0 28 सी0, सेक्टर-8 नोएडा, 201301
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in